

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़

रायपुर 492005

क्रमांक/सामा.अनु./विक्रय/2021-22/00-09

दिनांक:- 08.09.2021

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर में केन चेयर, माडयूलर चेयर, टेबल, कूलर जो है जैसा है (कबाड), के आधार पर विक्रय किया जाना है। इसके लिये निविदा नियम एवं शर्तों के आधार पर किया जाना है।

अतः इच्छुक फर्म दिनांक 06/09/2021 से 10/09/2021 तक कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर सामग्रियों का अवलोकन कर सकते हैं। सभी सामग्री हेतु एक मुश्त राशि बन्द लिफाफे में फर्म के सम्पूर्ण जानकारी के साथ वरि. लेखा अधिकारी/सामान्य अनुभाग के कक्ष क्रमांक 112 में दिनांक 13/09/2021 से 17/09/2021 शाम 5.00 बजे तक जमा करना है। प्राप्त Quotation में ज्यादा राशि दर्ज करने वाले फर्म को उपरोक्त सामान (कबाड), राशि जमा करने के उपरान्त दिया जावेगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
सामान्य अनुभाग

1. नोटिस बोर्ड हेतु।
2. सी. पी. पी. पोर्टल में अपलोड करने हेतु।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी
सामान्य अनुभाग

निविदा नियम एवं शर्तें

इस कार्यालय में उपलब्ध पुराना फर्नीचर को वर्ष 2021-22 के लिये जहाँ है वैसे ही स्थिति में क़य करने बाबत्।

निविदा नियम एवं शर्तों का पालन करना होगा:-

1. निविदायें मुहरबन्द लिफाफे में रखकर वरि. उपमहालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हकदारी) छ. ग. रायपुर के नाम से परिशिष्ट 1 में इस कार्यालय के निविदा बाक्स में डाली जावें। निविदायें दिनांक 17/09/2021 समय 5.00 बजे अपरान्ह तक स्वीकार्य कियें जावेंगे । उसक पश्चात् दिनांक 20/09/2021 को उपस्थित निविदाकर्ताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 20/09/2021 को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह निविदा खोली जावेगी।
2. निविदा हेतु विक्रय किये जाने वाले सामान का इस कार्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम रु 35,235/- है, के उपर अधिकतम राशि को ही मान्य किया जावेगा।
3. निविदा स्वीकृत के बाद सफल निविदाकर्ता को 100/ रूपये के नाम ननज्यूडिशियल स्टॉप पर निष्पादित करना होगा
4. सफल निविदाकर्ता को सुरक्षा निधि राशि जमा करने पर ही कार्य प्रारम्भ आदेश दिया जावेगा। उक्त कार्य को प्रारम्भ दिवस से 10 कार्य दिवस में निष्पादित कराना होगा फर्नीचर हटाने का कार्य केवल कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 5.00 बजे तक किया जा सकेगा।
5. कोविड 19 प्रोटोकाल के तहत सफल निविदाकर्ता एवं उनके कर्मचारियों कार्य करना होगा। इसके लिए ठेकेदार पूर्ण जिम्मेदार होंगे। ठेके की किसी शर्त को पूरा न करने की स्थिति में प्रतिभूति की राशि को राजसात कर लिया जावेगा।
6. उपमहालेखाकार (प्रशासन) द्वारा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर समय समय पर अनुपूरक शर्तों को निविदाकर्ता को मान्य करना होगा।
7. निविदा कर्ता क़य किये जाने वाला पुराना फर्नीचर का भौतिक अवलोकन प्रातः10 बजे से शाम 4.00 बजे तक।
8. सफल निविदाकर्ता को स्वयं के व्यय पर सामग्री का परिवहन करना होगा।


 उपमहालेखाकार (प्रशासन)

परिशिष्ट.....1

प्रति,

उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

छतीसगढ़, रायपुर

केन चेयर, माडयूलर चेयर, टेबल, कुलर जो है जैसा है (कबाड़)	रुपये.....
---	------------

निविदा के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महोदय के द्वारा दिए गये सभी शर्तें हमें मान्य हैं।

फर्म का विवरण

.....

मेबा0न0 (1).....

(2)

फर्म का मोहर

फर्म का GST NO.